

भारतीय संविधान


संविधान क्या और क्यों

क्या आपने कभी अपने विद्यालय के बारे में सोचा है? आप शायद यही सोच रहे होंगे कि भला इसमें सोचने वाली क्या बात है, विद्यालय में हम पढ़ने के लिए आते हैं, इसमें एक प्रधान अध्यापक एवं कई अध्यापक-अध्यापिकाएँ होते हैं जो अलग-अलग विषय पढ़ाते हैं। ये बातें जो शायद आपको साधारण सी लगती हों, परंतु उतनी साधारण हैं नहीं, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुनिश्चित तरीके से चलाने के लिए कुछ कायदे-कानून होते हैं, जैसे बच्चों के विद्यालय में नामांकन के लिए एक निश्चित उम्र और समय का होना, हर एक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होना, प्रत्येक विषय के लिये योग्य शिक्षक/शिक्षिकाओं का होना तथा एक प्रधान शिक्षक का होना जिस पर पूरे विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है।

विद्यालय के जिन नियमों की तरफ हमने आपका ध्यान दिलाया, ये भी कुछ बुनियादी कानूनों पर आधारित होते हैं। इन बुनियादी कानूनों को ध्यान में रखकर ही अन्य नियम और कानून बनाये जाते हैं। जैसे – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, एक बुनियादी कानून है जिसके आधार पर विद्यालयों के बारे में कई नियम बनाए गए हैं। जैसे, 6-14 वर्ष के लड़के/लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता. प्रत्येक 3 कि.मी. के दायरे में कक्षा 8 तक की

1. आप अपने विद्यालय में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए।
2. आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती हैं उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए।
3. ज़रा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा।

अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे एक विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना पड़ता है। इन नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है।



शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर अपने वर्ग में अलग-अलग समूह में समूह चर्चा कीजिए और उसकी मुख्य बातों को चार्ट पेपर पर लिख कर अपनी कक्षा में सजाइए।
इसके लिए पहले आपको कई स्रोत जैसे अखबार, इंटरनेट या अपने शिक्षकों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी।

पढाई हेतु सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्र : शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए।

भारतीय संविधान अँग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लंबे संघर्ष एवं अन्य देशों के संविधानों के अनुभवों का नतीजा है। यह भिन्न समूहों, जातियों एवं अलग-अलग क्षेत्र के ज्ञानी एवं अनुभवी लोगों की सोच का परिणाम है।

भारतीय संविधान केवल यह नहीं बताता है, कि देश की शासन व्यवस्था क्या होगी बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उस समाज में किन आदर्शों की रक्षा की जानी चाहिए, समाज में रहने वाले लोगों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके क्या-क्या कर्तव्य होने चाहिए। साथ ही सबसे अहम बात है कि उन अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए, जिससे सभी का भला हो।

अब कल्पना कीजिए कि आप नहरवाल नामक इलाके में रहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सके, उनके झगड़ों के हल करने का कोई खास तरीका हो और सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले

1. दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहरवाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे ?
2. यह तो हो गई कानून बनाने की बात, अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को कैसे लागू किया जाये?



ऊपर दी गई चित्रकथा के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर

1. सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया?
2. अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है?

और हर काम के लिए उचित मेहनताना मिले।

यदि आप सभी को ऊपर दी गई परिस्थितियों के अनुसार दिए गए इलाके के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाने का कार्य दिया जाये तो अगले पृष्ठ में दी गई बातों को आप कैसे तय करेंगे?

जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है व यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों के किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए।

नीचे दी गई घटनाओं को ध्यान से पढ़ें। शिक्षिका की मदद से यह पता लगायें कि इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान कैसे मदद करता है?

घटनाएँ :

1. दहेज के लिए विवाहिता को जला देना।
2. 10 वर्ष के बच्चे को चाय की दुकान में काम कराना।
3. बिना कोई कारण बताये 24 घण्टे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बन्द रखना।
4. किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिये जाति, लिंग या धर्म के नाम पर रोकना।
5. सरकार द्वारा किसानों की ज़मीन को बिना उचित मुआवज़ा दिए जब्त कर लेना।

1. संविधान किसे कहते हैं?
2. बुनियादी नियम क्या होते हैं?
3. किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएँ दी जाती है।
4. अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की एक सूची बनाइए।

संविधान केवल नियमों एवं कानूनों का संग्रह ही नहीं है जो समाज के राजनैतिक पहलू को बताता है, बल्कि यह लोगों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी कहीं न कहीं प्रभावित करता है। संविधान, सरकार को जनहित में कार्य करने की दिशा देता है, जिससे सभी लोगों का, खास तौर से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास हो सके, जैसे अनुसूचित जाति और जन जातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्ध पेंशन योजना, इत्यादि।

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक सन्दर्भ

अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अध्याय के इस भाग में हम संविधान निर्माण के ऐतिहासिक सन्दर्भ को समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे कौन-कौन सी ऐतिहासिक घटनाएँ हैं जिन्होंने भारत के संविधान को एक खास रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। वह प्रभावशाली है या नहीं? उस देश में रहनेवाले लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक,



संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए
पं. जवाहरलाल नेहरू

आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को उसमें शामिल किया गया है या नहीं? उस देश के विभिन्न वर्गों व समाजों के हितों को ध्यान में रखा है या नहीं? सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे? और उसे बनाने की प्रक्रिया में उस देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाये थे या नहीं?

सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के नेता अँग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनायी जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अँग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैण्ड के नागरिकों को दिए हैं, वे



जलियाँवाला बाग हत्याकांड



अँग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना

1. ऊपर दिए गए चित्रों को देख कर आपकी अँग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है?
2. क्या आपको लगता है कि अँग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया

4. अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता?
5. यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता, तो क्या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था?

अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने का अधिकार आदि।

भारत के लोगों की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेम्बली आदि में भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाये। असेम्बली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाये एवं भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैण्ड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। इसी बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया।

1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। सन् 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ अन्य

1. भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की?
2. अँग्रेज़ सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी?

कुछ जानने योग्य बातें

- भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे एवं उसकी प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।
- संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा है जो संविधान लिखने का कार्य

- भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया।
- 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंचनिस्पेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी **इस संविधान सभा में** आज, तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (भिति मार्ग-शीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को

नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से सम्बंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था। जैसे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा।

1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गयी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज़ हो गयी। अंततः दिसम्बर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया जिसके अन्तरिम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा थे और उनकी अध्यक्षता में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बनाये गये।

1. किसी भी देश के संविधान में आम तौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है?

ये दोनों विभूतियाँ बिहार के निवासी थे।

संविधान के बुनियादी मूल्य

किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है, जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हों। भारत के संविधान के निर्माण के समय भी ऐसे आदर्शों को संविधान के मूल्यों के रूप में पहचाना गया, जिन आदर्शों को भारत के लोगों ने सदियों से अपनाया था। ये आदर्श और विश्वास आज़ादी के आन्दोलन के दौरान भी भारत के लोगों के संघर्ष का मुख्य केन्द्र रहे।

इन मूल्यों में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान सभा द्वारा स्वीकार किये जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं उसे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया।

1. बच्चे क्यों खुश थे?
2. शिक्षिका ने सभी बच्चों के विचार क्यों लिए?
3. कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता?
4. क्या बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे?
5. कार्ययोजना बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी?
6. इस अनुभव से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ आता है? शिक्षिका से चर्चा कीजिए।

लोकतंत्र

भारत में आज़ादी के दौरान एक आम सहमति बन चुकी थी कि भारतीय शासन व्यवस्था ऐसे लोकतंत्र पर आधारित होगी जिसमें सभी की समान भागीदारी हो। भागीदारी का क्या अर्थ होता है, इसको पढ़ने के लिये हम एक अनुभव पर विचार करते हैं।



स्कूल जाती हुई



पटना साहिब



अरवल, बिहार खेत मज़दूर यूनियन की एक सभा को संबोधित करती हुई महिला

1. स्वयं करें और बतायें –

पुस्तक में दी गई संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और दिए गए चित्रों को देखकर बतायें कि इनमें संविधान की कौन सी स्वतंत्रता झलकती हैं।

2. क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता का अधिकार असीमित हो सकता है? यदि किसी भी व्यक्ति या सरकार के कार्यों से दूसरे के हित को खतरा पहुँचता है तो क्या ऐसी स्वतंत्रता समाज के हित में सीमित की जा

थे। यदि सारे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता तो पूरा दिन लग जाता और किसी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाता तो बच्चों के कोमल हृदय को ठेस पहुँचती। शिक्षिका ने बच्चों की आम सहमति से 10 बच्चों की एक टोली को कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने का भार सौंपा।

उन्होंने सभी बच्चों की बातों को सुना और आम सहमति से कार्यक्रम का चयन किया। कार्यक्रम के चयन में सभी ने भागीदारी निभाई इसलिए सारे बच्चे बहुत प्रसन्न थे और कार्यक्रम के आयोजन का इंतजार कर रहे थे।

स्वतंत्रता

लोकतंत्र की सफलता का मुख्य आधार उस देश में निवास करने वाले लोगों की स्वतंत्रता से है। जरा सोचिए, यदि लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त

1. संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़ें और बतायें कि संविधान में कौन-कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है?
2. नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन-कौन सी असमानताएं दिखाई दे रही हैं।
 - अपहरण के मामले में चार लड़के गिरफ्तार होते हैं। उनमें से श्याम एक धनी परिवार का इकलौता लड़का है। मजिस्ट्रेट सभी को एक ही सजा सुनाता है।
 - एक गाँव में स्थित मंदिर में कुछ खास समुदाय के लोगों को नहीं जाने दिया जाता।
 - आपके पड़ोस के स्कूल में आपके छोटे भाई का नामांकन नहीं किया जाता क्योंकि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
 - किसी निजी नौकरी के लिए आपको इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप

असमानताओं को दूर करने के लिए कई तरह के प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसे वार्षिक चन्दा लेकर सभी को सदस्यता देना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम थे। संविधान सभा द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो समानता के मूल्य को संविधान में उचित स्थान देने की कोशिश की गई थी। इस मूल्य को स्थापित करने के लिए संविधान में मूल अधिकारों व राज्य के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का कई जगह विशेष उल्लेख किया गया है।

1. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समानता के सिद्धांत के विरुद्ध क्यों नहीं जाती? अपनी शिक्षिका की सहायता से इस पर चर्चा कीजिए।
2. अपने स्कूल में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एकत्र कीजिए। ये योजनाएं क्या हैं और क्यों चलाई जाती हैं समूह में चर्चा कीजिए।

सामाजिक न्याय

भारतीय समाज में पाई जाने वाली तरह-तरह की असमानताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने सामाजिक न्याय को एक प्रमुख मूल्य के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। सामाजिक न्याय का मतलब समाज के पिछड़े हुए वर्गों को समाज के बाकी वर्गों के बराबर खड़े करने की कोशिश से है; ताकि कई हज़ार सालों से इन वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। सामाजिक न्याय को एक ठोस रूप देने के लिए संविधान में कई

अभ्यास के प्रश्न

1. एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है?
2. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी?
3. भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों?
4. संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें निम्न तालिका में भरिये।

समता का मूल्य	सामाजिक न्याय

5. नीचे दिए गवांरा को पढ़ कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8.30 बजे शुरू हुई। माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किये, “सभिति में दो विचारधाराएं थीं। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे, जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक की विराम और अल्प विराम की जाँच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से मामले को देखती थी। एक विचाराधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हों, अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। दूसरी विचारधारा

का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधारों में काफी बहस हुई और अन्त में एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिसे एक अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। दोनों विचारधारों के लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो, उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए, जिन्हें उचित माना जा सके। इन बातों पर इस सदन में मतभेद में हो सकता है, सदन को हर धारा पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन के सुझाव देने और निरस्त करने का अधिकार है।”

प्रश्न

1. संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में कौन-कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे?
2. आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं? और क्यों?
3. संविधान सभा में सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे, गद्यांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिये।



राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

- i) सभी तंबाकू उत्पाद हानिकरक हैं।
- ii) कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है।
- iii) बीड़ी उतनी ही हानिकरक है जितनी की सिगरेट।
- iv) सेवेंड हैट धूम्रपान भी जानलेवा होता है।
- v) तंबाकू चबाने से मुँह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं।